जगीर सिंह बनाम देविका वगै

प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन संख्या : 2023/37

13.07.2023	रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश हुआ। उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवान की अपील दिनांक 19.01.23 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गयी थी। अपीलांट एक वृद्ध व्यक्ति है और अत्यधिक सर्दी होने से अपीलांट का स्वास्थ्य दिनांक 18.01.2023 से ही ठीक नहीं था। और वह दो तीन दिन से घर से बाहर निकलने की स्थिति में भी नहीं रहा और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से ही दिनांक 19.01.2023 को न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका। और अधिवक्ता अपीलांट भी अपने पडौस में देहांत हो जाने से उसके अंतिम संस्कार में चले जाने से न्यायालय मे उपस्थित नहीं हो सके। और प्रकरण खारिज फरमा दिया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को पूनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया। अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 ने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के कारणों को अपर्याप्त बताते हुए, प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अभिभाषक रेस्पो0 02 से 04 ने कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में घोषणा एवं अधिकार के गंभीर प्रश्न सम्मिलित है, अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना पत्र वास्ते पूनः नम्बर पर लेने (रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र) का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थी की अपील न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 19.01.2023 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गयी थी, जिसको रेस्टोर के लिए प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन प्रार्थी की ओर से दिनांक 24.01.2023 को पेश किया गया है, जो अंदर मियाद है। प्रार्थी द्वारा बिना विलंब किए प्रार्थना पत्र वास्ते अपील पूनः नम्बर पर लेने का प्रस्तुत किया है, अतः प्रार्थी का कथन सद्भावी प्रतीत होता है। हम न्यायहित में 200/– रूपये की कोस्ट पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र 200/– रूपये के हर्जे पर स्वीकार किया जाकर मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 13.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा